

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

संख्या-15/विविध (विभागीय समिति) 07-133/2023-

(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....

श्री ब्रजेश कुमार पाटिल, अंचल अधिकारी, खगड़िया सदर, खगड़िया के विरुद्ध बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने, विभागीय निदेश के बावजूद सुयोग्य श्रेणी के वासभूमि विहिन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु अभियान बसेरा-2 के तहत सर्वेक्षित परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र वितरण कार्य में शिथिलता बरतने, ऑनलाईन जमाबंदी में मोबाईल नं० एवं आधार सीडिंग कार्य की प्रक्रिया पूर्ण करने में शिथिलता बरतने, ई-मापी में अमीन के कार्यों की समीक्षा नहीं करने, ससमय जमाबंदियों के परिमार्जन नहीं करने के वजह से राजस्व वसूली प्रभावित होने, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने, पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं कराने, ऑनलाईन लगान अद्यतन करने में अभिरुचि नहीं लेने, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश की अवहेलना करने जैसे आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०-660(15), दिनांक-28.04.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-9(1) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन अवधि के लिए मुख्यालय-आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर निर्धारित किया गया।

2. प्रतिवेदित उक्त आरोपों के संबंध में श्री पाटिल द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त मामले की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय संकल्प सं०-709(15), दिनांक-09.05.2025 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी, जिसका जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है।

3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-13888 दिनांक-21.07.2023 के कंडिका-5 (iii) के आलोक में बिहार राजस्व सेवा के निलंबित पदाधिकारियों, जिनकी निलंबन अवधि एक वर्ष से अधिक है, के विरुद्ध प्रतिवेदित/गठित आरोप की प्रकृति को देखते हुए निलंबन मुक्त किये जाने के संबंध में दिनांक-27.07.2026 को समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी।

4. समीक्षात्मक बैठक में श्री ब्रजेश कुमार पाटिल, तत्कालीन अंचल अधिकारी, खगड़िया, सम्प्रति निलंबित मुख्यालय-आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर के विरुद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभाग स्तर से अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु मामला प्रक्रियाधीन रहने, निलंबन अवधि एवं आरोप की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए निलंबन से मुक्त किये जाने तथा संवेदनशील पदों पर पदस्थापित नहीं किये जाने की अनुशंसा की गयी है, जिस पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

5. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री ब्रजेश कुमार पाटिल, तत्कालीन अंचल अधिकारी, खगड़िया सम्प्रति निलंबित मुख्यालय-आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को निलंबन मुक्त किया जाता है। निलंबन मुक्ति के पश्चात् श्री पाटिल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(डॉ० महेन्द्र पाल),

सरकार के अपर सचिव।

ई-मेल/
स्पीड-पोस्ट

ज्ञापांक-15/विविध (विभागीय समिति) 07-133/2023 (15)/रा0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि :- समाहर्ता, खगड़िया/आयुक्त के सचिव, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर/कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया एवं मुंगेर/श्री ब्रजेश कुमार पाटिल, निलंबित अंचल अधिकारी मुख्यालय-आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. श्री ब्रजेश कुमार पाटिल को निदेशित किया जाता है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना में अविलम्ब योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-

(डॉ० महेन्द्र पाल),

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-15/विविध (विभागीय समिति) 07-133/2023 1393 (15)/रा0, पटना-15, दिनांक-28/08/26

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-3/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना (मूल प्रति) आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(डॉ० महेन्द्र पाल),

सरकार के अपर सचिव।